न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00139 (Bank Case)
Manual no- 40/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री भरत सिंह पुत्र श्री मदन लाल जाति राजपूत निवासी म0नं0 RAY/58 तिलक स्कूल के पास, रंगबाडी, आनंदपुर, फूटा तालाब जिला कोटा (राज.) 324005 (ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमति माया बाई पत्नि श्री भरत सिंह जाति खटीक निवासी 286 बंजारा बस्ती, आनंदपुर, फूटा तालाब, जिला कोटा (राज.) 324005 (सहऋणी / बंधककर्ता)
3. श्री अरूण कुमार गौत्तम पुत्र श्री राधेश्याम गौत्तम जाति गौत्तम निवासी नागलहेडी कुराडिया, जिला कोटा (राज.) 3256001 (जमानती)
4. श्री शिवराज बंजारा पुत्र श्री भीमराज बंजारा जाति बंजारा निवासी 178/129, राजपूत कॉलोनी, जय अम्बे नगर, आनंदपुर, फूटा तालाब जिला कोटा (राज.) 324005 (जमानती)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः—
श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 11.11.2017 को 13,50,000/— (अक्षरे तैरह लाख, पचास हजार, रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति श्री भरत सिंह पुत्र श्री मदन लाल व माया बाई पत्नि श्री भरत सिंह की सम्पत्ति जो पट्टा आवंटन संख्या 360 /05.08, RAY—78/58 रंगबाडी कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 988.28 वर्गफीट है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कमांक/330 दिनांक 3.3.2013 को जारी किया गया है । जिसकी चतुः सीमाएं पूर्व में —रोड़, पश्चिम में— श्री नारायण का मकान, उत्तर में— शिवराज का मकान, दक्षिण में— श्री लक्ष्मण का मकान** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 06.06.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

खाते मे 16,24,582.34 (अक्षरेः सोलह लाख, चौबीस हजार पांच सौ बयांसी रूपये, चौंतीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.09.2018 तक शेष देय है व दिनांक 29.09.2018 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 28.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **बंधक अचल सम्पत्ति श्री भरत सिंह पुत्र श्री मदन लाल व माया बाई पत्नि श्री भरत सिंह की सम्पत्ति जो पट्टा आवंटन संख्या 360 /05.08, RAY–78/58 रंगबाडी कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 988.28 वर्गफीट है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कमांक/330 दिनांक 3.3.2013 को जारी किया गया है । जिसकी चतुः सीमाएं पूर्व में –रोड़, पश्चिम में– श्री नारायण का मकान, उत्तर में– शिवराज का मकान, दक्षिण में– श्री लक्ष्मण का मकान** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट,
कोटा

Scanned by CamScanner